भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 417
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय-पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल नुकसान का आकलन

417. श्री अमरा रामः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीमा कम्पनियों के सर्वेक्षक, असामयिक वर्षा के कारण व्यक्तिगत फसल नुकसान के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत फसल नुकसान का आकलन करने के लिए समय पर नहीं पहुंचते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन किसानों को मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार पीएमएफबीवाई के अंतर्गत ज़िला और राज्य स्तर पर बनाई जाने वाली समितियों में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का है और यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रावधानों के अनुसार, स्थानीय आपदा और फसलोपरांत नुकसान का आकलन संबंधित बीमा कंपनी और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा किया जाता है। बीमा कंपनियां समिति में अपने प्रतिनिधि/नुकसान मूल्यांकनकर्ता/सर्वेक्षक नियुक्त करती हैं। समिति की अनुशंसा/अनुमोदन के आधार पर अंतिम दावों की गणना करके भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार और बीमा कंपनियों को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने होते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और निर्धारित समयावधि के भीतर दावों का भुगतान करना होता है। यदि कोई पात्र किसान किसी कारणवश सर्वेक्षण से छूट जाता है, तो उसके स्वीकार्य दावों की गणना और भुगतान समीपवर्ती किसान के खेतों में हुई नुकसान/दावों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, यदि फसल व्यक्तिगत खेत मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं है, तो दावों और फसल चक्र समाप्ति पर दावों की गणना राज्य सरकार द्वारा फसलोपरांत उपलब्ध कराए गए उपज आंकड़ों के आधार पर की जाती है।

(ग) और (घ) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा अपनाए गए स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में किसानों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। परिचालन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियों (DGRC) में किसानों का प्रतिनिधित्व है। तदनुसार, कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने शिकायत निवारण समितियों के गठन पर अधिसूचनाएँ जारी की हैं, जिनमें शिकायत निवारण समितियों में नियुक्त पदाधिकारियों के प्रकार, भूमिका और दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और शिकायतों के निपटान की समय-सीमा भी निर्दिष्ट की गई है। किसानों के प्रतिनिधियों को पहले ही DGRC में शामिल किया जा चुका है।

****